संख्या– 20/1/91–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनॉक 14.05.2012

विषय : भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–20/1/91–का–2/2012 दिनॉक 15मार्च, 2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभिन्न विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विभाग में उपलब्ध रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरे जाने की आवश्यकता है, जिससे कि सरकार की विकास सम्बन्धी तथा अन्य प्राथमिकताओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्यवाही की जा सके। इस विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनॉक 26.04.2012 को कतिपय विभाग के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

2- उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये :–

(क) सरकार की विकास सम्बन्धी अन्य प्राथमिकताओं को पूर्ण करने के लिये,
(ख) आम नागरिकों को गुणवत्ता युक्त तथा तत्परता से नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिये,
(ग) विभाग अपनी पूर्ण दक्षता व क्षमता के साथ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकलापों, जो आम नागरिक की संतुष्टि के लिये आवश्यक है, उन्हें सम्पादित करने के लिये,

जिन रिक्त पदों को भरा जाना आवश्यक समझा जाये उनके सम्बन्ध में चरणबद्ध तरीके से समय–सारणी बनाते हुये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पत्रावली पर कार्मिक विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 15, मार्च, 2012 में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।